

अज अदालत लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज

पीठासीन अधिकारी डॉ.नरेश सोनी R.A.S

प्रार्थी
वजरसिंह पुत्र दलपतसिंह राजपूत
निवासी सवली तहसील शिवगंज

बनाम

अप्रार्थीगण
सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र-39 /2022

—:आदेश:—

दिनांक 28.02.2023

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके अनुसार मौजा सवली पटवार हल्का नारादरा भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र मांडानी तहसील शिवगंज की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 नया खाता संख्या 306 के खसरा नम्बर 198, 227, 228, 233, 234, 235 एवं 293 कुल किता सात कुल रकबा 22.0149 हैक्टर भूमि आई हुई है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम से खातेदारी दर्ज है। उक्त जमाबन्दी के अनुसार प्रार्थी का नाम वजरसिंह पुत्र दलपतसिंह राजपूत सा. देह खातेदार दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी सभी दस्तावेजों जैसे-आधारकार्ड, राशनकार्ड, मतदान पहचान पत्र, बैंक खाता पासबुक में प्रार्थी का नाम विजयसिंह पुत्र दलपतसिंह राजपूत है। अतः प्रार्थी ने अपना नाम वजरसिंह की जगह विजयसिंह पुत्र दलपतसिंह राजपूत राजपूत राजस्व रेकर्ड में नाम दुरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार शिवगंज ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों एवं मौका जांच अनुसार ग्राम सवली जमाबन्दी संवत् 2075-2078 नया खाता संख्या 306 खसरा संख्या 198, 227, 228, 233, 234, 235 एवं 293 में दर्ज नाम खातेदार वजरसिंह पुत्र दलपतसिंह राजपूत के स्थान पर विजयसिंह पुत्र दलपतसिंह राजपूत दुरस्त किये जाने को उचित बताया है।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनने से दस्तोवजी साक्ष्य एवं तहसीलदार शिवगंज की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थी की भूमि मौजा सवली पटवार हल्का नारादरा तहसील की राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नम्बर 198, 227, 228, 233, 234, 235 एवं 293 कुल किता सात कुल रकबा 22.0149 हैक्टर भूमि में दर्ज खातेदार वजरसिंह पुत्र दलपतसिंह राजपूत के स्थान पर विजयसिंह पुत्र दलपतसिंह दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज तदनुसार पालना करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।



क्रमांक
135
28/2/23

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. तहसीलदार शिवगंज ।

(डॉ. नरेश सोनी R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)

(एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)